कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

**सं0.एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/** **दिनांक–**

2298 31-5-17

S.S(UPM)

31 MAY 2017

**सेवा में,**

**कार्यपालक अभियंता**
**जिला शहरी विकास अभिकरण(DUDA), मधेपुरा**
**जिला– मधेपुरा**

S.O 7 1.6.17

महाशय,

जिला शहरी विकास अभिकरण, मधेपुरा के दिसम्बर 2011 से सितम्बर 2016 तक के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 1281/16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

पत्र पंजी
01 JUN 2017
4942
संख्या
बिहार, पटना

भवदीय,

–ह0–
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

**सं0–एल0ए0/एस.एस.–1/श0स्था0नि0/**1467**0**/76 **दिनांक–** 24.05.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, मधेपुरा

तनवीर हसन 24/05/17
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

# कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना
## सामाजिक प्रक्षेत्र–।
## निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–1281/16–17
## भाग–।
## प्रस्तावना

| | | |
|---|---|---|
| 1. | निरीक्षित कार्यालय का नाम | जिला शहरी विकास अभिकरण, मधेपुरा |
| 2. | लेखा अवधि | दिसम्बर 2011 से सितम्बर 2016 |
| 3. | लेखा परीक्षा की तिथि | 03.03.2017 से 11.03.2017 |
| 4. | कार्य दिवस | 8 दिन |
| 5. | निरीक्षण पदाधिकारी का नाम | पंकज कुमार चौधरी, व0 ले0 प0 अ0 |
| 6. | लेखा परीक्षा दल के सदस्य | 1. पंकज कुमार 1, स0ले0प0अ0<br>2. पवन कुमार, स0ले0प0अ0<br>3. राकेश कुमार, लेखा परीक्षक |
| 7. | लेखा परीक्षा का क्षेत्र | माह दिसम्बर 2011 से सितम्बर 2016 के लेखाओं की नमूना लेखा परीक्षा की जॉच की गई। माह जून 2015 एवं मई 2016 की लेखाओं के विस्तृत जॉच, कोषागार से किए गए आहरणों एवं कोषागार में जमा की गई राशियों का सत्यापन कोषागार के अभिलेखें से किया गया। माह जनवरी 2015 के लेखाओं की अंकगणितीय जॉच की गई। इसी कम में उपलब्ध कराए गए अन्य अभिलेखों की भी नमूना लेखा परीक्षा जॉच की गई। कार्यालय में पदास्थापित कर्मियों के सेवा पुस्तिकायें उपलब्ध नहीं करायी गयी। |
| 8. | पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन | महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय द्वारा प्रथम लेखा परीक्षा |
| 9. | क्या आपत्ति पर विचार– विमर्श किया गया? | हाँ, |
| 10. | कार्यपालक अभियन्ता का नाम | 1. पार्थ प्रीतम घोष –<br>2. सुरेश कुमार सिंह 05.03.2012 से 01.03.2013<br>3. एस. के. वर्मा 01.03.2013 से 01.04.2013<br>4. मो0 ए. रहमान 01.04.2013 से 25.08.2013<br>5. एस. के. राय 25.08.2013 से 31.05.2013<br>6. ए. के. राम 31.05.2013 से अबतक |

## दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र
## DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतू कतई उत्तरादायी नहीं होगा।

## भाग–।।

## खण्ड–क– शून्य

## खण्ड–ख

**कंडिका 1(क) प्राक्कलित राशि से अधिक कार्य का कियान्वयन होने के कारण अधिक भुगतान – रु 11.70 लाख**

| | |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री नगर विकास योजना 2013–14 के अन्तर्गत बेलहा घाट से टी. पी. कॉलेज मधेपुरा तक नाला एवं सड़क कासिंग का निर्माण । |
| संवेदक का नाम | श्री प्रिय रंजन |
| प्राक्कलित राशि | रु 58,62,720.00 |
| एकरारनामा की राशि | रु 58,62,720.00 |
| मापी पुस्तिका के अनुसार कार्य मूल्य | रु 70,32,770.00 |
| योजना पर कुल व्यय | रु 70,32,770.00 |
| कार्य प्रारम्भ की तिथि | 30.07.2014 |
| कार्य समाप्ति की प्रस्तावित तिथि | 6 माह |
| मापी पुस्तिका के अनुसार अंतिम मापी | 22.06.2015 |

लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गये योजना संचिका के अवलोकन में पाया गया कि योजना संचिका का संधारण उचित तरीके से नहीं किया गया था। उसमें निम्न त्रुटियॉ थी :–

1. संचिका में प्राक्कलन, कार्यादेश, निविदा, चलंत लेखा बिल इत्यादि संलग्न नहीं था तथा न ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया।
2. संचिका में नोट शीट नहीं पाया गया जिसके फलस्वरुप यह पता नहीं चल सका कि योजना से संबंधित कार्यवाही क्या थी।

फिर भी योजना संचिका में संलग्न एकरारनामा एवं मापी पुस्तिका के अनुसार प्राक्कलित राशि/एकरारनामा की राशि से अधिक कार्य का कियान्वयन किया गया था। इस योजना में प्राक्कलित राशि से रु 1170050 (रु 7032770 – रु 5862720) का अधिक भुगतान किया गया जो अनियमित है। उक्त प्रश्न के आलोक में जवाब दिया गया कि संबंधित योजना में नाला का पानी अंतिम छोर के बजाय कुछ मीटर पहले ही आबादी क्षेत्र में गिर रहा था। चूँकि नदी की धारा के कारण दूरी बढ़ गयी थी ओर नदी स्थानांतरित हो जाने के कारण और साथ ही जिला पदाधिकारी एवं जन प्रतिनिधि के मौखिक आदेश पर लम्बाई बढ़ा दिया गया जिसका प्राक्कलन का प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति पूर्व का प्राप्त है जिनके आलोक में कार्यपालक अभियन्ता डूडा मधेपुरा द्वारा एकरारनामा में सभी मात्रा को सुधार दिया गया है। तदनुसार संवेदक को भुगतान किया गया। जनहित में उक्त कार्य को पूर्ण करना अत्यंत ही आवश्यक था।

जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि उपरोक्त परिस्थितियों में डूडा द्वारा न तो प्राक्कलन में संशोधन किया गया तथा न ही इस मामले में सक्षम पदाधिकारी का कोई आदेश प्राप्त किया गया था। अतः इस मामले पर यथोचित कारवाई की जाये।

(ख) **प्रपत्र एम. एवं एन. प्राप्त किये बिना ढुलाई पर अनियमित भुगतान–रू0 12.77 लाख**

खनन एवं भू–तत्व विभाग की अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 1063 दिनांक 16.10.99 द्वारा संशोधित बिहार लधु खनिज समानुदान नियमावली 40(10) के अनुसार संवेदको द्वारा व्यवहृत खनिजों यथा बोल्डर, स्टोन मेटल, स्टोन चिप्स/बालू/मुख्य इत्यादि के विरूद्ध संवेदको से प्रपत्र एम0 एवं प्रपत्र एन0 प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अभाव में संबंधित विपत्र का भुगतान नहीं किया जाना है।

इस योजना में स्टोन चिप्स एवं बालू की ढुलाई पर रु 12,76,987=00 का व्यय बिना एम. तथा एन. प्रपत्र प्राप्त किये किया गया जो अनियमित है। विवरण इस प्रकार है–

| क्रम संख्या | मद | मात्रा | राशि (रु में) |
|---|---|---|---|
| 1 | स्टोन चिप्स | 421.71 घनमीटर रु 1883.66 प्रति घनमीटर की दर से | रु 7,94,358=00 |
| 2 | क्यूल बालू | 213.16 घनमीटर रु 2205.84 प्रति घनमीटर की दर से | रु 4,70,197=00 |
| 3 | लोकल बालू | 64.58 घनमीटर रु 192.50 प्रति घनमीटर की दर से | रु 12,432=00 |
| कुल | | | रु 12,76,987=00 |

उक्त पृच्छा के आलोक में जवाब दिया गया कि भविष्य में संवेदक से एम. एवं एन. प्रपत्र प्राप्त कर ही भुगतान किया जाएगा।

(ग) **क्षतिपूर्ति राशि की वसूली नहीं–रू0 5.86 लाख**

ठेके की शर्तों के क्लाउज 2 के अनुसार यदि संवेदक के द्वारा समय पर कार्य का संपादन नहीं किया जाता है तो संवेदक के बिल से प्राक्कलित राशि का 0.5 प्रतिशत प्रतिदिन या अधिकतम 10 प्रतिशत की दर से क्षतिपूर्ति राशि की कटौती की जायेगी।

यह योजना चार माह 22 दिन विलम्ब से संपन्न किया गया परन्तु संवेदक के बिल से क्षतिपूर्ति राशि की वसूली नहीं की गयी जिसके फलस्वरुप संवेदक को रु 5,86,272=00 का अधिक भुगतान किया गया जो वसूलनीय है।

उक्त पृच्छा के आलोक में जवाब दिया गया कि जॉचोपरांत कार्रवाई की जाएगी।

जवाब संतोषप्रद नहीं हैं क्योंकि क्षतिपूर्ति राशि की वसूली नहीं की गयी है।

**कंडिका– 2 पी.सी.सी. कार्य निर्धारित लम्बाई से अधिक किये जाने के कारण अधिक भुगतान**

**रु 2.42 लाख**

| | |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री नगर विकास योजना 2013–14 के अन्तर्गत पूर्णिया गोला से जयपाल पट्टी तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण कार्य । |
| प्राक्कलित राशि | रु 14,60,500=00 |
| मापी पुस्तिका के अनुसार कार्य मूल्य | रु 13,92,467=00 |
| भुगतान की राशि | रु 13,92,467=00 |
| संवेदक का नाम | श्री लक्ष्मण पोद्दार |

प्राक्कलन के अनुसार कुल 335 मीटर की लम्बाई में पी.सी.सी. कार्य किया जाना था जबकि मापी पुस्तिका के अनुसार संवेदक द्वारा कुल 406 मीटर की लम्बाई में पी.सी.सी. कार्य किया गया था जिसका विवरण इस प्रकार है :–

| कार्य का माप | कृत कार्य की मात्रा |
|---|---|
| 1X3.00X8.05X0.145 | 3.97 |
| 1X3.00X6.00X0.15 | 2.70 |
| 1X3.00X4.25X0.15 | 1.91 |
| 1X15.00X2.95X0.15 | 6.64 |
| 1X15.00X2.95X0.15 | 6.64 |
| 1X15.00X2.97X0.15 | 6.68 |
| 1X30.00X3.05X0.16 | 14.64 |
| 1X30.00X3.21X0.155 | 14.92 |
| 1X30.00X3.07X0.16 | 14.736 |
| 1X30.00X3.00X0.17 | 15.30 |
| 1X30.00X3.02X0.17 | 15.40 |
| 1X30.00X3.05X0.155 | 14.18 |
| 1X15.00X3.03X0.16 | 7.27 |
| 1X2.30X0.79X0.16 | 0.29 |
| 1X15.00X3.00X0.15 | 6.75 |
| 1X15.00X3.05X0.155 | 7.10 |
| 1X15.00X3.02X0.16 | 7.25 |
| 1X15.00X3.00X0.15 | 6.75 |
| 1X15.00X3.02X0.155 | 7.02 |
| 1X15.00X3.00X0.65 | 7.46 |
| 1X15.00X3.07X0.165 | 7.59 |
| 1X15.00X3.05X0.17 | 7.78 |
| 1X15.00X2.95X0.155 | 6.86 |
| 1X13.00X3.05X0.16 | 6.35 |
| 1X3.95X4.33X0.15 | 2.56 |
| 1X3.63X3.95X0.145 | 2.08 |
| Total 406 meter length | 200.85 |
| Repair | 4.354 |
| Total | 205.204 |

मापी मूल्य = रु 13,84,837=00 (205.204 घनमीटर रु 6748.72 प्रति घनमीटर की दर से)

इस प्रकार संवेदक द्वारा 71 मीटर (406–335) की लम्बाई में पी. सी. सी. कार्य अधिक किया गया जिसका कार्य मूल्य रु 2,42,176=00 होता है ।

कार्य मूल्य = 1384837 गुणा 335/406 = 1142661

अधिक कार्य का मूल्य = 1384837 – 1142661 = रु 242176

लोक निर्माण संहिता बिहार के नियमानुसार प्राक्कलन की मदों में यदि 10 प्रतिशत से अधिक की विचलन की संभावना हो तो प्राक्कलन का पुनरीक्षण कर सक्षम पदाधिकारी की मंजूरी लेनी चाहिए।

परन्तु उपरोक्त नियम के विपरीत इन मदों में 21.19 प्रतिशत का कार्य अधिक किया गया जिसका कार्य मूल्य रु 2,42,176=00 होता है।

लेखा परीक्षा द्वारा उठाये गए आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि वस्तुस्थिति की जॉच करने पर एकरारनामा के अनुसार कार्य किया गया एवं भुगतान भी उतना ही किया गया।

जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि प्राक्कलन की मदों में विचलन बिना सक्षम पदाधिकारी की मंजूरी लिए अनुमत्य नहीं है।

**कंडिका– 3 सामग्री की ढुलाई पर अनियमित व्यय रु 6.40 लाख**

| | |
|---|---|
| योजना का नाम | मस्जिद चौक से सुभाष चौक तक नाला निर्माण। |
| प्राक्कलित राशि | रु 58,87,100=00 |
| मापी पुस्तिका के अनुसार कार्य मूल्य | रु 56,17,770=00 |
| भुगतान की राशि | रु 56,17,770=00 |
| संवेदक का नाम | श्री उपेन्द्र कुमार सिंह |

खनन एवं भू–तत्व विभाग की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1063 दिनांक 16.10.99 द्वारा संशोधित बिहार लधु खनिज समानुदान नियमावली 40(10) के अनुसार संवेदकों द्वारा व्यवहृत खनिजों यथा बोल्डर, स्टोन मेटल, स्टोन चिप्स/बालू/मुख्य इत्यादि के विरूद्ध संवेदको से प्रपत्र एम0 एवं प्रपत्र एन0 प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अभाव में संबंधित विपत्र का भुगतान नहीं किया जाना है।

योजना से संबंधित संचिका के जॉच के क्रम में यह पाया गया कि सामग्री की ढुलाई पर की गयी भुगतान के संबंध में संवेदक से प्रपत्र एम. तथा एन. प्राप्त नहीं किया गया था जिसका विवरण इस प्रकार है –

| क्रम संख्या | प्राक्कलन/एक रारनामा संख्या | मापी पुस्तिका के अनुसार सामग्री का विवरण | ढुलाई पर व्यय (रु में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1/2015–16 | स्टोन चिप्स 304.53 घनमीटर रु 1853.00 प्रति घनमीटर की दर से | 5,64,477=00 |
| | | लोकल बालू 104.39 घनमीटर रु 192.50 प्रति घनमीटर की दर से | 20,095=00 |
| | | क्यूल बालू 248.96 घनमीटर रु 3305.84 प्रति घनमीटर की दर से | 54,974=00 |
| कुल | | | 6,39,546=00 |

अतः संवेदकों से बिना एम. एवं एन. प्रपत्र प्राप्त किए सामग्री की ढुलाई का भुगतान किया जाना अनियमित है।

उक्त पृच्छा के आलोक में जवाब दिया गया कि भविष्य में संवेदक से एम. एवं एन. प्रपत्र प्राप्त कर ही भुगतान किया जाएगा।

**कंडिका– 4 प्राक्कलन में निर्धारित मात्रा से अधिक कार्य होने के फलस्वरुप अधिक भुगतान रु 0.19 लाख**

| | |
|---|---|
| योजना का नाम | कॉलेज चौक मधेपुरा के पास आर.सी.सी. नाला जंक्शन सहित निर्माण कार्य । |
| योजना संख्या व मद | 06/2015–16 मुख्यमंत्री नगर विकास योजना |
| प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | रु 20,03,000=00 |
| एकरारनामा की राशि | रु 18,91,606=00 |
| संवेदक का नाम | श्री राकेश कुमार |
| मापी पुस्तिका के अनुसार कार्य मूल्य | रु 18,90,887=00 |
| भुगतान की राशि | रु 18,90,887=00 |

प्राक्कलन तथा चलन्त लेखा विपत्र एवं मापी पुस्तिका के अवलोकन के क्रम में यह पाया गया कि प्राक्कलन में वर्णित कुछ मदों के कियान्वयन में 10 प्रतिशत से अधिक का कार्य संपन्न किया गया था जबकि लोक निर्माण संहिता बिहार के नियमानुसार प्राक्कलन की मदों में यदि 10 प्रतिशत से अधिक की विचलन की संभावना हो तो प्राक्कलन का पुनरीक्षण कर सक्षम पदाधिकारी की मंजूरी लेनी चाहिए। विस्तृत विवरण इस प्रकार है :–

| क्रम संख्या | मदों का नाम | प्राक्कलन के अनुसार निर्धारित कार्य | मापी पुस्तिका के अनुसार कृत कार्य | अधिक भुगतान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मिट्टी कार्य ..... 50 मी0 लीड | 214 घ0मी0 रु 205.20 प्रति घ0मी0 की दर से रु 43913 | 241.57 घ0मी0 रु 205.20 प्रति घ0मी0 की दर से रु 49570 | 27.57 घ0मी0 रु 205.20 प्रति घ0मी0 की दर से रु 5657.36 (12.88 प्रतिशत) |
| 2 | 12 एम.एम.सी.पी. (1:3)..... | 468.45 व0मी0 रु 116. 60 प्रति व0मी0 की दर से रु 54,621 | 576.82 व0मी0 रु 116.60 प्रति व0मी0 की दर से रु 67,257 | 108.37 व0मी0 रु 116.60 प्रति व0मी0 की दर से रु 12,635.90 (23 प्रतिशत) |
| | | | कुल | रु 18293.26 |

इस प्रकार प्राक्कलन में निर्धारित मात्रा से अधिक कार्य होने के फलस्वरुप संवेदक को रु 18293.26 का अधिक भुगतान किया गया जो अनियमित है।

जवाब में कहा गया कि जॉचोपरांत कार्रवाई की जायगी।

**कंडिका– 5 कार्य पूर्णता में विलंब के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति राशि की वसूली, नहीं ₹ 2.00 लाख**

**योजना स. 7/2015-16**

कार्य का नाम– **कालेज चौक मधेपुरा के पास आर0सी0सी0 नाला** जंक्शन **सहित निर्माण कार्य**

**मुख्यमंत्री नगर विकास योजना 2015-16**

प्रा0राशि – रू0 **2003000/-**

एकरारनामा की राशि – रू0 **1891606/-**कार्यादेश की तिथि – **अनुपलब्ध**

**कार्य प्रारंभ करने की तिथि** (एकरारनामा के अनुसार) **- 15/1/16**

कार्य पूर्णता तिथि (एकरारनामा के अनुसार)–**14/4/16**

कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि **(मापी पुस्तक के अनुसार)** – **18/5/16**

संवेदक का नाम – **श्री राकेश कुमार**

इस कार्य हेतु संवेदक के साथ किए गए एकरारनामा की शर्त सं0 2 के अनुसार, संवेदक द्वारा कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण यदि नहीं किया जाता है तो संवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के रुप में प्रतिदिन प्राक्कलित राशि के आधा प्रतिशत की दर से, जो अधिकतम प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत होगा भुगतान करना होगा।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि **चार** माह अर्थात् दिनांक **14/4/16** तक कार्य को पूर्ण करना था जो लगभग **एक माह** विलंब से अर्थात् दिनांक **21/5/16** को पूर्ण किया गया। **अर्थात कार्यालय द्वारा** प्राक्कलित **राशि का अधिकतम 10 प्रतिशत राशि ₹200300/- संवेदक से वसूल किया जाना था परन्तु ऐसा नहीं करके एकरारनामा का उलंघन किया गया।**

जवाब में कहा गया कि जॉचोपरांत विलम्ब शुल्क में कटौती योग्य राशि का समायोजन संवेदक के विपत्र से कटौती की गई सुरक्षित जमा राशि से कर ली जाएगी

विलम्ब शुल्क की कटौती कर लेखा परीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाये।

**कंडिका– 6 कार्य पूर्णता में विलंब के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति राशि की वसूली, नहीं रू0 101410/-**

कार्य का नाम– **नगर परिषद् मधेपुरा अंतर्गत बी0 एन 0 मंडल स्टेडियम के बगल में स्थित कला भवन का विकास** (जीर्णोधार) **कार्य मुख्यमंत्री नगर विकास योजना 2015-16**

प्रा0राशि – रू0 **1014100/-**

एकरारनामा की राशि एवं तिथि – रू0 **957297/-** कार्यादेश की तिथि – **अनुपलब्ध**

**एकरारनामा- अनुपलब्ध**

**कार्य प्रारंभ करने की तिथि (मापी पुस्त के अनुसार )- 15/1/16**

कार्य पूर्णता तिथि (एकरारनामा के अनुसार)–**14/4/16**

कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि – **18/6/16**

संवेदक का नाम – **श्री सुजीत कुमार**

इस कार्य हेतु संवेदक के साथ किए गए एकरारनामा की शर्त सं0 2 के अनुसार, संवेदक द्वारा कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण यदि नहीं किया जाता है तो संवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के रुप में प्रतिदिन प्राक्कलित राशि के आधा प्रतिशत की दर से, जो अधिकतम प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत होगा भुगतान करना होगा।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि **तीन** माह अर्थात् दिनांक **14/4/16** तक कार्य को पूर्ण करना था जो लगभग **दो माह** विलंब से अर्थात् दिनांक **18/6/16** को पूर्ण किया गया। **अर्थात कार्यालय द्वारा प्राक्कलित राशि का अधिकतम 10 प्रतिशत राशि 101410/- सवेदक से वसूल किया जाना था परन्तु ऐसा नहीं करके एकरारनामा का** उल्लंघन **किया गया।**

कार्यालय द्वारा उत्तर में बताया गया कि जाँचोपरांत विलम्ब शुल्क में कटौती योग्य राशि का समायोजन संवदेक के विपत्र से कटौती की गयी सुरक्षित जमा राशि से कर लिया जाएगा।

**कंडिका– 7 ब्याज की राशि का अव्यवहृत रहने के कारण राशि का अवरोधन रू 20.40 लाख**

योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार (पत्रांक यो– 4/1–48/2010–3311/यो0 पटना दिनांक 17.08.12) द्वारा सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को इस आशय का पत्र दिया गया था कि योजनाओं में प्राप्त ब्याज की राशि का उपयोग उसी योजना के कार्यान्वयन में करवाया जाएगा। ब्याज की राशि का अलग हिसाब भी रखा जाएगा।

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार (संकल्प संख्या 3576 दिनांक 13.07.15) द्वारा निर्गत पत्र की कंडिका संख्या 2.3.4 में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि योजना के अन्तर्गत जिलों को आवंटित राशि के अव्यवहृत पड़े रहने पर उस पर अर्जित ब्याज की राशि यदि कोई हो तो उसे योजना का ही संसाधन माना जाएगा एवं उसके व्यय हेतु वही प्रावधान लागू होगे जो मुख्यमंत्री नगर विकास योजना अन्तर्गत लागू है।

जिला शहरी विकास अभिकरण कार्यालय मधेपुरा के रोकड़पंजी एवं बैंक पासबुक की जांच में पाया गया की ब्याज की राशि का उपयोग योजना कार्य में नहीं किया गया था जो विगत पांच वर्षो में बढ़कर रू0 2040157/– ( सितम्बर 2016 तक) हो गई थी। इतनी बड़ी राशि का उपयोग योजना कार्य में न करके राशि का अवरोधन किया गया साथ ही साथ सरकार के निर्देशों की अवहेलना की गई थी।

पृच्छा के आलोक में जवाब दिया गया कि विभागीय निर्देश प्राप्त कर शेष राशि लौटा दी जाएगी।

**कंडिका– 8 श्री दिनेस कुमार दास, कनीय अभियंता को वेतन भुगतान में आयकर की कटौती नहीं (रू0 0.81 लाख)**

आयकर की धारा 194J के तहत किसी भी दक्ष संविदा कर्मचारी (which provides professional services, Ex.- Accountancy, Engineering etc.) के मानदेय भुगतान करते समय उनके मानदेय से 10% टी0 डी0 एस0 कटौती कर भुगतान किया जाना चाहिये।

जिला शहरी विकास अभिकरण, **मधेपुरा** के, सामान्य रोकड़बही, वेतन संचिका, बैंक पासबुक के नमूना जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में श्री दिनेश **कुमार दास**, कनीय अभियंता को कुल ₹ 814000 मानदेय का भुगतान किया गया। विवरण निम्न है–

| क. सं. | भुगतान तिथि | भुगतान अवधि | भुगतान की गई राशि | 10% TDS of Income Tax |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.4.2014 | JAN 14 - FEB 14 | 40000 | 4000 |
| 2 | 14.10.2014 | APR 14-JUNE 14 | 60000 | 6000 |
| 3 | 8.1.2015 | JULY 14- SEP 14 | 60000 | 6000 |
| 4 | 22.1.2015 | Oct-14 | 20000 | 2000 |
| 5 | 21.3.2015 | NOV 14 - DEC 14 | 40000 | 4000 |
| 6 | 31.3.2015 | JAN 15 - MAR 15 | 81000 | 8100 |
| 7 | 10.6.2015 | APR 15 -MAY 15 | 54000 | 5400 |
| 8 | 31.7.2015 | JUNE 15 - JULY 15 | 81000 | 8100 |
| 9 | 28.8.2015 | Aug-15 | 27000 | 2700 |
| 10 | 10.10.2015 | Sep-15 | 27000 | 2700 |
| 11 | 2.12.2015 | Oct-15 | 27000 | 2700 |
| 12 | 7.1.2016 | NOV 15 -DEC 15 | 54000 | 5400 |
| 13 | 31.3.2016 | | 27000 | 2700 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 19.5.2016 | | 27000 | 2700 |
| 15 | 17.6.2016 | | 27000 | 2700 |
| 16 | 5.7.2016 | | 27000 | 2700 |
| 17 | 2.8.2016 | | 27000 | 2700 |
| 18 | 1.9.2016 | | 27000 | 2700 |
| 19 | 3.10.2016 | | 27000 | 2700 |
| 20 | 31.10.2016 | | 27000 | 2700 |
| 21 | 9.12.2016 | | 27000 | 2700 |
| | | **TOTAL** | **814000** | **81400** |

**श्री दिनेश कुमार दास,** कनीय अभियंता को 10 प्रतिशत TDS की कटौती नहीं किये जाने के कारण कुल रू0 81400 का अधिक भुगतान हुआ।

लेखा परीक्षा द्वारा उठाये गए आपत्ति के जवाब में कार्यालय द्वारा बताया गया कि वरीय पदाधिकारी से निर्देश प्राप्त कर आयकर कटौती के संबंध में आवश्यक कारवाई की जायगी ।

इस संबंध में आवश्यक कारवाई कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाय।

**कंडिका– 9 परिमाण विपत्र की राशि कोषागार में जमा नहीं किया जाना–रू0 7.18 लाख**

बिहार वित्तीय संहिता के नियम 37 एवं 52 के अनुसार सरकार के प्राप्तियों को प्राप्त कर अगले कार्य दिवस तक निश्चित रूप से सरकार के संबंधित शीर्ष मे जमा करने का प्रावधान है। उन्हें अन्य विविध व्यय हेतु अनुमति नहीं है। विभागीय कार्यो में उपयोग करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), मधेपुरा के अंकेक्षण के क्रम में पाया गया की कार्यालय द्वारा कुल कितना BOQ निर्गत/बिक्री किया गया एवं उससे कुल कितना राशि की प्राप्ति हुयी इस सम्बन्ध में कोई संचिका / पंजी/ अभिलेख आदि का संधारण नहीं किया गया था जिसके अभाव में निविदा में परिमाण विपत्र (बी0ओ0क्यू0) की बिक्री एवं उससे प्राप्त राशि को अंकेक्षण में सुनिश्चित नहीं किया जा सका I यद्दपि जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा),मधेपुरा द्वारा प्रस्तुत माह दिसंबर 2011से सितम्बर 2016 तक के रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि विभिन्न योजनाओं के निविदाओं में परिमाण विपत्र (बी0ओ0क्यू0) की बिक्री से कुल ₹ 718550/- कार्यालय को प्राप्त हुई थी । डूडा कार्यालय द्वारा इसे कोषागार में प्रेषित करने के बजाय विभिन्न बैंकों में जमा कर दिया गया I जिसमें से अंकेक्षण में सिर्फ ₹90054/- का जमा का विवरणी एक्सिस बैंक का प्रस्तुत किया गया I उपरोक्त नियमानुसार सभी प्रकार के सरकारी राजस्व को अविलम्ब कोषागार में प्रेषित किया जाना था परन्तु ऐसा न कर वित्तीय एवं कोषागार नियमो का उल्लंघन कर कार्यालय द्वारा ₹718550/-को न सिर्फ सरकार के कोष से बाहर रखा गया बल्कि इसके सीधे विनियोग यथा -कार्यालय व्यय,आकस्मिकता मद में व्यय आदि किये जाने से इंकार नहीं किया जा सकता ।

सरकारी राजस्व के प्राप्ति को कोषागार में प्रेषित नहीं किये जाने एवं शेष राशि ₹628456/- (718550- 90054) का जमा सम्बन्धी बैंक पासबुक/ विवरणी लेखा परीक्षा दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने के संबंध में कार्यालय द्वारा जवाब में कहा

गया कि विभागीय निर्देश प्राप्त कर बी0ओ0क्यू0 की राशि ₹ 7.18 लाख कोषागार में जमा करा दिया जाएगा।

अतः बी0ओ0क्यू0 की राशि अविलम्ब कोषागार में जमा किया जाये ।

**कंडिका– 10 आयकर, श्रम सेस, रायल्टी व बिक्री कर की राशि का संबंधित शीर्ष में प्रेषण नहीं– ₹16.87 लाख**

आयकर, श्रम सेस, रायल्टी व बिक्री कर कटौती से संबंधित रोकड़ बही के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि आयकर, श्रमसेस, रायल्टी व बिक्री कर के रुप में कटौती की गई राशि को संबंधित शीर्ष में प्रेषित नहीं किया गया है। विवरण इस प्रकार है :–

| | |
|---|---|
| बिक्री कर | रु 5,32,695=00 |
| आयकर | रु 1,95,155=00 |
| श्रम सेस | रु 6,32,908=00 |
| रायल्टी | रु 3,26,857=00 |
| कुल | रु 16,87,615=00 |

लेखा परीक्षा द्वारा उठाये गए आपत्ति के जवाब में अभिकरण द्वारा बताया गया कि सभी करों यथा आयकर, श्रमसेस, रायल्टी व बिक्री कर को संबंधित शीर्ष में प्रेषित कर दिया जाता था । वर्तमान में कार्यालय कर्मी नहीं रहने के कारण विलम्ब हुआ जिसे यथाशीघ्र जमा करवा दिया जाएगा ।

अतः उपरोक्त सभी करों को संबंधित शीर्ष में जमा कर लेखा परीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाये।

## भाग–III

## नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी

### टिप्पणी– 1 पी0एल0 खाता का संधारण नहीं किया जाना

वित्त विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक – एम–4–12/2013/3608/वि; दिनांक – 09.04.2015 के अनुसार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत गठित निगम/बोर्ड/प्राधिकार/अभिकरण/एजेंसी/सोसाइटी/Special Purpose Vehicles आदि संस्थानों का, जो राज्य सरकार से किसी भी रूप में (यथाः अनुदान, ऋण, सेंटेज पर कार्य करने आदि) धन प्राप्त करती है, व्यक्तिगत लेखा खाता (पी0एल0 खाता) खोला जाएगा। साथ ही, यह निर्देश भी दिया गया था कि उपरोक्त संस्थाओं को तत्काल पी0एल0 खाता खोलकर उनके बैंक खाते में अब तक संचित राशि को 30 अप्रैल 2015 तक पी0एल0 खाते में जमा करा दिया जाए। आगे, उपरोक्त पत्रांक की कंडिका–2 में यह निर्देश दिया गया था कि विभिन्न विभागों द्वारा उपरोक्त संस्थाओं के माध्यम से व्यय की जाने वाली केन्द्रांश/वित्त आयोग अथवा बाह्य संपोषित योजना से संबंधित राशि की निकासी भी पी0एल0 खाता के माध्यम से की जाएगी।

जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), मधेपुरा द्वारा संधारित अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि डूडा, मधेपुरा द्वारा वर्ष 2010–11 से फरवरी 17 के दौरान मुख्यमंत्री नगर विकास योजना, प्रशासनिक भवनों के निर्माण, नागरिक सुविधा आदि मद में प्राप्त सहायक अनुदान की राशियों के वित्तीय संव्यवहारों के लिए पांच बैंक खातों का संधारण किया गया था। परंतु, कोई पी0एल0 खाता संधारित नहीं पाया गया। यद्यपि कार्यालय द्वारा संधारित रोकड़ बही के अनुसार सितम्बर 16 तक ₹ 19610328/- अवशेष था । पी० एल० खाता में सबंधित राशि के नहीं रहने के कारण यह राशि सरकारी कोष से बाहर रह गया ।

सरकार द्वारा निर्देश दिए जाने के बाबजूद पी० एल० खाता का संधारण नहीं किया गया था ।

लेखा परीक्षा द्वारा उठाए गए आपत्ति के जवाब में कार्यालय द्वारा बताया गया कि वरीय पदाधिकारी से निर्देश प्राप्त कर पी. एल. खाता का संधारण कर लिया जाएगाा ।

**टिप्पणी– 2 रोकड़ बही के संधारण में त्रुटियाँ**

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, **मधेपुरा** के लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि कार्यालय द्वारा संधारित रोकड़बही में निम्नलिखित त्रुटियाँ पायीं गयीं:–

**(1) जिला शहरी विकास अभिकरण , मधेपुरा को मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के अलावे नगर परिषद् मधेपुरा एवं जिला पदाधिकारी द्वारा भी राशि की प्राप्ति होती थी। सभी मदों के आवंटन आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया गया था की मद वार पृथक रोकड़ बही एवं बैंक खाता का संधारण किया जाय निर्देश दिए जाने के बावजूद कार्यलय द्वारा सिर्फ एक ही रोकड़ बही संधारित किया गया था जिसमे मुख्यमंत्री नगर विकास योजना नगर परिषद् द्वारा प्राप्त राशि एवं आकस्मिकता मद आदि के राशि का संधारण किया गया था।** अलग– अलग मदवार सहायक रोकड़ बही (Subsidiary Cash Book) संधारित नहीं था।

**(2) मद वार पृथक बैंक खाता संधारित किये जाने के बजाय एक ही मद हेतु एक से अधिक बैंक खाता संधारित था इसके अलावे एक बैंक खाता में एक से अधिक मदों का राशि संधारित किया गया था I**

**(3) रोकड़ बही के closing balance का विस्तृत विवरणी नहीं बनाया गया था जिसके अभाव में मद वार अवशेष राशि सुनिश्चित नहीं किया जा सका।**

**(4) बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं किया गया था**

(5) रोकड़बही प्रतिदिन close नहीं किया जा रहा था।

(6) रोकड़ बही 30.9.16 के बाद अद्द्यतन नहीं किया गया था।

(7) रोकड़ बही में कई जगह कटिंग/व्हाइटनर लगा था जिसे कार्यालय प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था ।

उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण कर अगले लेखा परीक्षा को दिखाया जाये।

जवाब में कहा गया कि दिये गये निर्देश का अनुपालन किया जाएगा ।

**टिप्पणी– 3 अभिलेख अप्रस्तुत**

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, **मधेपुरा** के लेखापरीक्षा के दौरान **निम्नलिखित अभिलेख संचिका एवं पंजी लेखा परीक्षा दल के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया:–**

(1) परिसंपत्ति पंजी (Asset Register)

(2) अग्रिम पंजी (Advance Register)

(3) योजना पंजी (Scheme Register)

(4) पंजियों की पंजी (Register of Register)

(5) सहायक रोकड़ बही (Subsidiary Cash Book)

(6) अभिश्रव पंजी ( वाउचर रजिस्टर )

(7) अनुदान पंजी (Grant Register )

(8) चेक निर्गत पंजी (Cheque issue register )

(9) बैंक पासबुक शुरू से अधतन सभी बैंक का

(10) ब्याज अर्जित पंजी

(11) संवेदक द्वारा समर्पित BG/N.S.C/T D (ऑडीटोरियम को छोड़कर)

(12) आवंटन पंजी एवं आदेश

(13) B.O.Q से सम्बंधित पंजी

(14) क्रय संचिका / पंजी

(15) लॉगबुक

(16) गाड़ी भाड़े से सम्बंधित संचिका

अभिकरण द्वारा जवाब दिया गया कि उपरोक्त संचिका अगले लेखा परीक्षा को अद्यतन कर प्रस्तुत किया जायेगा। वर्तमान में कार्यालय कर्मी के अभाव में ये प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

**टिप्पणी– 4 जिला शहरी विकास अभिकरण मधेपुरा में संचिकाओं के संधारण में पाई गयी त्रुटियॉ**

जिला शहरी विकास अभिकरण, मधेपुरा के लेखाभिलेखों की लेखा परीक्षा के क्रम में कार्यालय द्वारा क्रियान्वित योजनाओं से संबंधित संचिकाओं की नमूना जाँच की गयी। जाँच में पायी गयी त्रुटियाँ/अनियमितताएँ निम्नवत् है –

1 अधिकांश योजना संचिका में प्राक्कलन संलग्न नहीं था।

2 योजना संचिका में कार्यादेश संलग्न नहीं था।

3 योजना संचिका में नोट शीट अनुपलब्ध था।

4 योजना संचिका में कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र अनुपलब्ध था।

5 अधिकांश योजना में Qualitiy control का प्रमाण अनुपलब्ध था।

6 अधिकांश संचिका में बी0 ओ0 क्यू0 अनुपलब्ध था।

7 निविदा से संबंधित संचिका अनुपलब्ध था।

जवाब में कहा गया कि उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण कर अगले लेखा परीक्षा को दिखा दिया जाएगा।

उपरोक्त अनियमितताओं को यथाशीघ्र दूर किया जाए।

**–हस्ता0–**
**(पंकज कुमार चौधरी)**
**व0ले0प0अ0**
**–अनुमोदित–**
**उप महालेखाकार (सा0प्र0–I/स्था0नि0)**